प्रश्नपत्र 2 : व्यावसायिक विधियां, नीतिशास्त्र एवं संचार
(PAPER 2 : BUSINESS LAWS, ETHICS AND COMMUNICATION)

भाग I : नवम्बर, 2015 परीक्षा में लागू होने वाली एवं न लागू होने वाली घोषणाएँ

I. नवम्बर, 2015 की परीक्षा के लिए लागू

नवम्बर 2015 की इंटरमीजिएट परीक्षा (IPC) में 1 मई, 2014 से 30 अप्रैल, 2015 की अवधि के लिए लागू व्यावसायिक विधि, नीतिशास्त्र और संचार से सम्बन्धित संशोधन/परिपत्र/अधिसूचना/नियम, आदि :

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013

क्रम संख्या	विषय से सम्बन्धित परिवर्तन	विवरण
1.	सहयोजित कम्पनी	दिनांक 25 जून, 2014 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 24/2014 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया है, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(6) के अन्तर्गत बनी सहयोजित कम्पनी द्वारा अवैध क्षमता वाले अंशों के धारण से सम्बन्धित है।
2.	सीमानियम, धर्मार्थ उद्देश्यों वाली कम्पनी और सीमानियमों में परिवर्तन से सम्बंधित धाराओं के अंतर्गत शक्तियों और कार्यों को कम्पनी रजिस्ट्रार को प्रदान करना।	दिनांक 9 जुलाई, 2014 को जारी अधिसूचना एस.ओ.1353(E) और भारत सरकार (एम.सी.ए) की दिनांक 10–07–2012 की अधिसूचना की प्राथमिकता पर केन्द्र सरकार ने निम्न धाराओं 4(2), 8, 13(2) के अन्तर्गत शक्तियां कम्पनी रजिस्ट्रार को सौंपी हैं, जो क्रमशः सीमानियमों, धर्मार्थ उद्देश्यों वाली कम्पनियों और सीमानियमों में बदलाव से सम्बन्धित हैं।
3.	क्षेत्रीय निदेशक [RO] को शक्तियों और कार्यों को सौंपना, उन धाराओं के अन्तर्गत जो कि सीमा नियमों, धर्मार्थ उद्देश्यों वाली कम्पनियों और सीमा नियमों में बदलाव व कम्पनी के नाम में संशोधन व व्यवसाय	दिनांक 21 मई, 2014 को जारी अधिसूचना एस. ओ. 1353(E) और भारत सरकार (एम.सी.ए) की दिनांक 10–07–2012 की अधिसूचना की प्राथमिकता पर केन्द्र सरकार ने उपरोक्त अधिनियम की निम्न धाराओं के अन्तर्गत शक्तियों और कार्यों को मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, अहमदाबाद, हैदराबाद और शिलोंग के क्षेत्रीय निदेशक को इन शर्तों के अधीन सौंपा है कि ऐसी शक्तियों के प्रत्यायोजन को केन्द्र सरकार रद्द कर सकती है या स्वयं ही शक्तियों एवं कार्यों का प्रयोग निम्न धाराओं 8(6), 13(4) & (5), 16,

© The Institute of Chartered Accountants of India

	को प्रारम्भ करने से संबंधित है।	11(3) के अन्तर्गत कर सकती है, यदि उसके विचार में ऐसा करना सार्वजनिक हित में है। ये धाराएं सीमानियम, धर्मार्थ उद्देश्य वाली कम्पनीयॉ और सीमानियमों में बदलाव, कम्पनी के नाम में संशोधन और व्यापार के प्रारम्भ से सम्बन्धित हैं।
4.	कम्पनियों के नाम का पंजीकरण	दिनांक 11 जुलाई, 2014 के सामान्य परिपत्र संख्या 29/2014 द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स द्वारा रजिस्ट्रार को निर्देशित करता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कम्पनियों के नाम का पंजीकरण प्रतीत और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुरूप होगा।
5.	कम्पनियों के नाम का पंजीकरण	कम्पनियों और LLP के नाम में 'राष्ट्रीय' और 'बैंक' शब्दों के प्रयोग के संबंध में सामान्य परिपत्र संख्या 02/2014 दिनांक 11.02.2014 को जारी किया गया था।
6.	निजीगत हस्तान्तरण	कम्पनी (प्रविवरण और आबंटन, प्रतिभूतियों का) संशोधन नियम, 2014 दिनांक 30 जून, 2014 में प्रस्ताव या अपरिवर्तनीय ऋणपत्र के आमंत्रण के सम्बन्ध में नया प्रावधान सम्मिलित किया है जो कहता है कि इस नियमों के लागू होने की तिथि के 6 महीनों की अवधि के अन्दर यदि अपरिवर्तनीय ऋणपत्र के लिए प्रस्ताव या आमंत्रण आया है, तो इस उपरोक्त समयावधि नियमों के लागू होने की दिनांक से 6 महीनों के भीतर विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा।
8.	जनता से जमाएं स्वीकार करना	दिनांक 2 जून, 2014 को कम्पनी (समस्याओं का निराकरण) द्वितीय आदेश, 2014 और दिनांक 6 जून, 2014 को कम्पनी (समस्याओं का निराकरण) चतुर्थ आदेश, 2014 के अनुसार केन्द्र सरकार यह निम्न आदेश करती है कि जब तक केन्द्र सरकार कोई तारीख निश्चित नहीं कर देती तब तक कम्पनी विधि अधिकरण, अधिकरण के न्यायाधिकार/क्षेत्राधिकार, शक्तियों व सत्ता के कार्यों को कर सकेगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

9.	और पूंजी का निर्गमन	कम्पनी (अंश पूंजी एवं ऋणपत्र) संशोधन नियम, 2014, दिनांक 18 जून, 2014, के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर अंशों का निगमन का नियम 13 के उप नियम (2) के साथ निम्न उप नियम (3) भी शामिल किया है, जो बताता है कि प्राथमिकता के आधार पर यदि अंशों को या अन्य प्रतिभूति को जारी किया जाता है तो उनका मूल्य पंजीकृत कीमत निर्धारणकर्ता की रिपोर्ट में प्रदर्शित कीमत से कम नहीं होनी चाहिए।
10.	ऋणपत्र	कम्पनी (अंश पूंजी और ऋणपत्र) नियम, 2014 के अन्तर्गत सुरक्षित ऋणपत्र के जारी करने के लिए शर्तें। इसके अनुसार सुरक्षित ऋणपत्र का वह निगमन लाया जा सकता है जिसके शोधन की तारीख दस साल (जारी करने की तारीख से) से अधिक नहीं होनी चाहिए और कम्पनी (अंश पूंजी और ऋणपत्र) के संशोधन नियम, 2014 के अनुसार संशोधनों को भी शामिल किया जाता है। जिसके अनुसार कम्पनियां सुरक्षित ऋणपत्र को 10 साल से ज्यादा लेकिन 13 साल से कम की अवधि के लिए जारी कर सकती हैं।
11.	ऋणपत्र शोधन संचय (DRR) खाता	आर.बी.आई. (संशोधन) अधिनियम, 1997 के बाद–कम्पनी (अंश पूंजी और ऋणपत्र) संशोधन नियम, 2014 के अनुसार "राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक के साथ पंजीकृत हाउसिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए" निम्न को शामिल किया गया।
12.	इलेक्ट्रोनिक साधनों के माध्यम से मतदान	ई–मत से सम्बन्धित प्रक्रियाओं पर स्पष्टीकरण जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफ़ेयर्स द्वारा सामान्य परिपत्र संख्या 20/2014, दिनांक 17 जून, 2014 द्वारा जारी किया गया जिसमें ई–मत प्रक्रिया में समानता और स्पष्टता निश्चित की गई।
13.	किसी अंश में लाभदायक हित के सम्बन्ध में घोषणा	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 से संबंधित कम्पनीज़ (प्रबन्ध और प्रशासन) द्वारा नियम, 9 उपनियम 3 में एक प्रावधान द्वितीय संशोधन नियम, 2014 द्वारा शामिल किया गया है कि धारा 89 के सम्बन्ध में इस नियम में ऐसा कुछ शामिल

© The Institute of Chartered Accountants of India

		न होगा जो किसी ऐसे ट्रस्ट पर लागू हो जो कि म्यूचुअल फण्ड़ या वेन्चर कैपिटल फण्ड़ या कोई ऐसे कोष जिसे भारतीय प्रतिभूति विनिमय अधिनियम मण्डल द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।
14.	वार्षिक विवरणी (Annual Return)	कम्पनी (प्रबन्ध और प्रशासनिक) द्वितीय संशोधन नियम, 2014 के अनुसार वह परिवर्तन जिसे कम्पनी (प्रबन्ध और प्रशासन) संशोधन नियमों, 2014 के नियम 13 में लाया गया है, जहां निम्न शब्द 'या अंशों की कीमत या मात्रा' जो कि विलोपित कर दिए गए हैं, या ध्यान नहीं रहे जिसके साथ 'परिवर्तन' का अर्थ देने वाला स्पष्टीकरण भी हैं।
15.	मतगणना और सर्वेक्षण कराने की मांग का अधिकार	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 19 मार्च 2015 को अधिसूचना जारी कर कम्पनी (प्रबन्ध और प्रशासन) नियम, 2014 में, कम्पनी (प्रबन्ध और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 द्वारा और संशोधन किए गए जिसमें कम्पनी (प्रबन्ध और प्रशासन) नियम, 2014 के 'इलेक्ट्रोनिक तरीके से मत देने' से सम्बन्धित है के नियम 20 को परिवर्तित किया गया है।
16.	रजिस्टर, विवरणी इत्यादि का निरीक्षण और रखरखाव का स्थान	दिनांक 31 मार्च, 2015 में केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 94 की उपधारा (5) के अंतर्गत स्वयं में निहित शक्तियों और कार्यों को मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, नोएड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, और शिलोंग से सम्बन्धित क्षेत्रीय निदेशक (Regional Director) को हस्तान्तरित कर दी।

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधित) योजना 2014, कर्मचारी पेंशन (संशोधित) योजना 2014 और कर्मचारी जमा सम्बन्ध बीमा योजना 2014 (संशोधित) के तहत संशोधित वैधानिक वेतन की सीमा ₹ 6,500 से ₹ 15,000 प्रति महीना है।

विद्यार्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि वे अध्ययन सामग्री (जुलाई 2014 संस्करण) के साथ अभ्यास सामग्री (दिसम्बर 2014 संस्करण) को भी देखें।

© The Institute of Chartered Accountants of India

II. नवम्बर 2015 परीक्षा में लागू नहीं है :

(i) **नवम्बर 2015 परीक्षा में कम्पनी अधिनियम, 2013 की निम्न धाराएँ लागू नहीं की जाएंगी–**"कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 48 से सम्बन्धित अंश धारकों के अधिकारों में परिवर्तन, धारा 66 से सम्बन्धित "अंश पूंजी में कमी", धारा 75 से सम्बन्धित "धोखाधड़ी के लिए हर्जाना" धारा 97 से सम्बन्धित" ट्रिब्यूनल को "वार्षिक साधारण सभा बुलाने का अधिकार", धारा 98 से सम्बन्धित "ट्रिब्यूनल द्वारा सदस्यों की सभा बुलाने का अधिकार इत्यादि" और धारा 99 से सम्बन्धित "धारा 96 से 98 तक के प्रावधान को पूर्ण करने की चूक का दण्ड"।

(ii) **कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2015**

भाग II : प्रश्न तथा उत्तर

प्रश्न

भाग A : व्यापारिक विधि

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872

1. (अ) श्री डेविड ने अपनी दूकान में "स्वयं सेवा" तंत्र आरम्भ किया। सुश्री मैरी ने दुकान में प्रवेश किया, टोकरी उठाई और अपनी रुचि के अनुसार वस्तुओं को टोकरी में डाल कर भुगतान के लिए रोकडिये के पास ले गयी। रोकड़िया कीमत स्वीकार करने से मना करता है। क्या सुश्री मैरी द्वारा डेविड को उन वस्तुओं को बेचने के लिए बाध्य किया जा सकता है? निश्चित करें।

(ब) ऋषि अपना मकान राजन को विक्रय के लिए प्रस्तावित करता है। राजन उसकी स्वीकृति डाक द्वारा भेजता है। अगले दिन, राजन तार द्वारा अपनी स्वीकृति वापस लेता है। निम्न पर प्रकाश डालते हुए स्वीकृति की वैधता का परीक्षण करें :

(i) स्वीकृति का पत्र प्राप्त होने से पहले ही ऋषि स्वीकृति की निरस्ती का तार प्राप्त करता है।

(ii) प्रतिसंहरण या स्वीकृति की निरस्ती का तार तथा स्वीकृति का पत्र साथ में पहुंचते हैं।

2. (अ) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव की स्वीकृति से सम्बन्धित नियमों का वर्णन करें।

(ब) अ, एक निक्षेपी, एक सिनेमा प्रोजेक्टर और अन्य साज–सामग्री उपकरण सिने एसोसिएशन को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड़, निक्षेपग्रहीता, को ऋण के लिए गिरवी रखता है। अ, बैंक से प्रार्थना करता है कि वह माल को उसके अधिकार में रहने दे और वादा करता है कि जब भी बैंक इसकी माँग करेगा, वह इसे लौटा देगा। भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों का परीक्षण कर यह निश्चित करें कि 'अ' जो निक्षेपी है और बैंक जो निक्षेपग्रहीता है, के बीच हुआ गिरवी का अनुबंध वैध है अथवा नहीं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881

3. (a) जॉन, एक कम्पनी का अंशधारक, अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कुछ सामान एक मॉल (डिपार्टमेंटल स्टोर) से उधार पर खरीदता है। उसने बिलों के पूर्ण भुगतान के लिए कम्पनी के खाते से उस मॉल (डिपार्टमेंटल स्टोर) के नाम बना हुआ एक चैक भिजवाया। वह चैक कम्पनी के बैंक द्वारा बिना भुगतान के लौटा दिया गया। जॉन कम्पनी का अंशधारक, न तो कम्पनी का निदेशक था और न ही कम्पनी का प्रभारी था। परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 के प्रावधानों का परीक्षण कर बताइए कि क्या जॉन ने धारा 138 के अन्तर्गत अपराध किया है और निर्णय कीजिए कि क्या वह मॉल (डिपार्टमेंटल स्टोर) से माल खरीदने पर भुगतान करने का दायी होगा?

(b) श्रीमान बिग (Big), एक वयस्क, और मिनियन (Minion) एक अवयस्क ने Ms. Purva के पक्ष में एक वचन–पत्र निष्पादित किया। परक्राम्य विलेख अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में उस वचन–पत्र की वैधता की जांच कीजिए तथा यह ज्ञात कीजिए कि क्या यह वचन–पत्र Big और Minion को बाध्य करता है।

4. P ₹ 50,000 का एक चैक जारी करता है। जबकि चैक को अदाकर्ता द्वारा बैंक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, उस समय चैक जारीकर्ता के बैंक खाते में चैक का भुगतान करने के लिए प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध था। चैक प्रस्तुत करने से पूर्व ही बैंक फेल हो गया। चैक का धारक (आदाता) चैक जारीकर्ता (अदाकर्ता) से उस चैक का भुगतान माँगता है। चैक जारीकर्ता की क्या देयता है?

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

5. Peter एक कम्पनी में विक्रेता के रूप में वेतन के आधार पर कार्यरत है। पिछले वित्तीय वर्ष में कम्पनी द्वारा उसे निम्नलिखित भुगतान किये गए :

(i) अधिसमय भत्ता

(ii) महंगाई भत्ता,

(iii) विक्रय पर कमीशन,

(iv) पेन्शन फण्ड में नियोजक का अंशदान,

(v) भोजन का मूल्य।

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत जांच कीजिए कि उपर्युक्त भुगतानों में से कौन सा भुगतान वेतन का भाग है?

6. Achal लिमिटेड कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान बहुत अधिक लाभ कमाया। कम्पनी अपने कर्मचारियों को अधिकतम बोनस देना चाहती है। इस सम्बन्ध में आपसे कम्पनी को सलाह देने हेतु कहा जाता है कि वह भुगतान अधिनियम, 1965 के अधीन कितना उच्चतम बोनस अपने कर्मचारियों को दे सकती है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

7. कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के उन प्रावधानों का उल्लेख कीजिए जो कि कर्मचारी एवं नियोक्ता द्वारा भविष्य निधि में किये गये योगदान की मात्रा का विनियमन करती है। क्या किसी कर्मचारी के लिए यह सम्भव है कि वह कानूनन निर्धारित न्यूनतम योगदान से अधिक योगदान भविष्य निधि में कर सकता है?

8. सतीश 31 मार्च, 2014 को Life Management Limited की सेवा से निवृत्त हुआ। उसके भविष्य निधि खाते में ₹ 5 लाख की राशि थी। उसे यह राशि 30 अप्रैल, 2014 को देय हो जाती है परन्तु कम्पनी इस राशि का एक साल बाद भुगतान करती है। सतीश देय राशि पर एक वर्ष के लिए 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का दावा करता है। निश्चय करें कि क्या सतीश का दावा कर्मचारी निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत मान्य है।

उपदान भुगतान अधिनियम, 1972

9. जब कोई कर्मचारी किसी दुर्घटना या रोग के कारण शारीरिक रूप से उस काम को नहीं कर सकता जो वह पहले करता था और उसे कम वेतन में फिर से सेवा में रख लिया जाता है, तो उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे कर्मचारी को देय उपदान की गणना कैसे की जाएगी?

10. Elle, टी एस्टेट लिमिटेड का एक कार्मिक था। टी एस्टेट लिमिटेड का सारा उपक्रम एक नई कम्पनी एशिया टी एस्टेट लिमिटेड ने ले लिया। Elle की सेवा नई कम्पनी में लगातार चालू रही। एक साल की सेवा के बाद Elle के साथ दुर्घटना हो गई जिसके कारण वह स्थायी रूप से काम करने में अपंग हो गया। Elle ने उपदान का भुगतान करने के लिए नई कम्पनी में आवेदन किया। कम्पनी ने उपदान देने से यह कहकर मना कर दिया कि Elle ने केवल 1 वर्ष ही काम किया है। उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी के संचालकों द्वारा Elle को उपदान न देने के निर्णय की वैधता की जांच कीजिए।

कम्पनी अधिनियम, 1956

11. 120 लोगों का एक संगठन लाभ ग्रहण करने के उद्देश्य से बना। अब आन्तरिक कुप्रबन्धन के कारण इस संगठन ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत समापन के लिए आवेदन किया है। सलाह दीजिए।

12. XYZ कम्पनी लिमिटेड़ निगमन की प्रक्रिया में थी। कम्पनी के प्रवर्तकों ने कम्पनी के लिए कुछ फर्नीचर खरीदने के एक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किये और फर्नीचर की आपूर्ति करने वालों को कम्पनी के निगमन के उपरान्त खरीद का भुगतान किया जाना था। कम्पनी का निगमन हो गया और उसके फर्नीचर उपयोग में लाया गया। निगमन के थोड़े समय बाद कम्पनी दिवालिया हो गयी और कम्पनी द्वारा उस फर्नीचर की खरीद का भुगतान नहीं हो सका। परिणामस्वरूप फर्नीचर आपूर्तिकर्ताओं ने कम्पनी के प्रवर्तकों पर अपनी राशि की वसूली का दावा कर दिया। जांच कीजिए कि, क्या प्रवर्तकों को निम्न परिस्थितियों में बाध्य किया जा सकता है–

© The Institute of Chartered Accountants of India

(i) जबकि कम्पनी ने निगमन के उपरान्त उस अनुबन्ध का अनुमोदन कर दिया हो।

(ii) जब कम्पनी ने निगमन पूर्व अनुबन्ध की शर्तों के आधार पर ही आपूर्तिकर्ता के साथ नया अनुबन्ध कर लिया हो।

13. कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत वर्णित साधारण और विशेष प्रस्ताव के अर्थों को समझाइये।

14. कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्दर "वार्षिक साधारण सभा की रिपोर्ट" पर टिप्पणी लिखिए।

15. एक कंपनी के अंश आबंटी ने कम्पनी के प्रविवरण में मिथ्यावर्णन के सम्बन्ध में कम्पनी के निर्देशक के विरुद्ध शिकायत की। निदेशक ने अपने बचाव में यह तर्क दिया कि विवरण कम्पनी के प्रवर्तकों द्वारा बनाये गये थे और उसने इन पर विश्वास किया था। क्या इन परिस्थितियों में निदेशक उत्तरदायी है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के सन्दर्भ में निर्णय कीजिए।

भाग B : नीतिशास्त्र

16. 'नीतिशास्त्र' तथा 'व्यावसायिक नीतिशास्त्र' शब्दों का अर्थ समझाइये। व्यावसायिक नीतिशास्त्र के लिए किस प्रकार की जागरूकता की आवश्यकता है?

17. उन तत्वों को बताइए जिनसे किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में नियुक्ति के समय कार्यस्थल पर भेदभाव किया जाता है।

18. कार्यस्थल पर नीतिशास्त्र प्रबंधन के बारे में संक्षेप में बताइए तथा व्हिसल–ब्लोइंग की आवश्यकता को रोकने के बारे में संक्षिप्त में विवरण दीजिए।

19. (i) 'पर्यावरण नीतिशास्त्र' से क्या अभिप्राय है? इसका अनुमोदन न करने से 3P जैसा कि 'दूषित करने वाला भरता है' और सिद्धान्त की ओर कैसे अग्रसर होते हैं, समझाइए।

(ii) वित्त एवं लेखांकन अधिकारियों में अनैतिक व्यवहार के क्या कारण हैं?

20. निम्न कल्पित स्थिति की जांच कीजिए और इस स्थिति पर संक्षिप्त विश्लेषणात्मक लेख लिखिए–

Kalam Ltd., दक्षिण भारत की एक अग्रणी वैज्ञानिक उपकरण निर्माण करने वाली कम्पनी है। कम्पनी को अचानक यह ज्ञात होता है कि उत्तर भारत की कुछ कम्पनियां जो कि अपने क्षेत्र में बिल्कुल रसूख नहीं रखती हैं, दक्षिण भारत के उनके बाज़ार में प्रवेश करने का प्रयास कर रही हैं। परन्तु, क्योंकि ABC Ltd. का दक्षिण भारत के बाजार में बहुत अधिक प्रभाव और दबदबा है इसलिए Kalam Ltd. उत्तर भारत की कम्पनियों पर अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके उन कम्पनियों से जबरदस्ती एक अनुबन्ध कर लेती है कि वे कम्पनियां उसके मूल्यों से कम मूल्यों पर अपने उत्पाद नहीं बेचेंगी। कृपया इसकी वैधानिकता पर टिप्पणी लिखें। इसके विपरीत यदि Kalam Ltd. अपने वितरकों से ऐसा अनुबन्ध करती है कि वह उत्तर भारतीय कम्पनियों के उत्पादों की बिक्री नहीं करेंगे तो क्या ऐसा करना असंवैधानिक होगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

भाग C : संचार

21. "व्यापारिक संगठनों में संचार का महत्व दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।" संचार के बढ़ते महत्व के कारणों का वर्णन कीजिए।

22. अन्तर्वैयक्तिक संचार के कार्यों का वर्णन कीजिए।

23. सर्वसम्मति को समझाइये।

24. Mr. Atul को Xtra लि. के 150 अंशों पर ₹ 1,500 का अंश लाभ वारण्ट प्राप्त नहीं हुआ है। अंश लाभ पाने के लिए कम्पनी को दिए जाने वाले क्षतिपूर्ति बन्ध–पत्र का प्रारूप बनाइए।

25. इन तथ्यों का अनुमान लगाते हुए व्यावसायिक पत्र का प्रारूप बनाइए कि आपने कम्पनी से माल प्राप्त किया है और आप कम्पनी को भुगतान कर रहे हैं।

सुझाये उत्तर/संकेत

1. (अ) प्रस्ताव के लिए निमन्त्रण : प्रस्ताव तथा प्रस्ताव के लिए निमन्त्रण में अन्तर है। एक प्रस्ताव प्रस्तावक द्वारा अपने प्रस्ताव से बाध्य होने के आशय को प्रकट करने का अंतिम वक्तव्य है, यदि दूसरा पक्ष प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहे। जब एक पक्ष, अपनी अन्तिम इच्छा व्यक्त किये बिना कुछ शर्तों का प्रस्ताव करता है, जिस पर वह सौदा करने के लिए तैयार है, तो कोई प्रस्ताव नहीं करता, बल्कि उन शर्तों पर दूसरे पक्ष को प्रस्ताव करने के लिए निमन्त्रण देता है। यह प्रस्ताव तथा प्रस्ताव के लिए निमंत्रण में मुख्य अन्तर है।

वस्तुओं का, मूल्य के फीते (Tag) के साथ 'स्वयंसेवा' दुकान में प्रदर्शन, प्रस्ताव के लिए निमन्त्रण मात्र है। यह किसी भी रूप में बिक्री के लिए प्रस्ताव नहीं माना जा सकता जिसकी स्वीकृति एक अनुबन्ध की उत्पत्ति करे। इस मामले में श्रीमती Marry ने कुछ वस्तुओं का चुनाव करके तथा भुगतान के लिए कोषाध्यक्ष के पास जाकर, केवल उन वस्तुओं को क्रय करने का प्रस्ताव किया है। यदि कोषाध्यक्ष मूल्य का भुगतान स्वीकार नहीं करता है तो वस्तु खरीदने का इच्छुक क्रेता उसे वस्तु बेचने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। (फिशर बनाम वैल (1961) Q.B. 394 में तथा फार्मास्युटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाम बुट्स कैश केमिस्ट्स)

(ब) यह समस्या संप्रेषण और स्वीकृति का समय तथा अस्वीकृति के समय पर आधारित है। भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 4 के अनुसार प्रतिग्रहण की संसूचना स्वीकर्ता के विरुद्ध तब सम्पूर्ण होती है जब वह प्रस्तावक के ज्ञान में आती है।

स्वीकर्ता के मामले में कोई भी प्रतिग्रहण, उस प्रतिग्रहण की संसूचना, स्वीकर्ता के विरुद्ध सम्पूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय खण्डित की जा सकेगी, किन्तु उसके पश्चात् नहीं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार :

(i) हाँ, राजन (स्वीकर्ता) द्वारा स्वीकृति का खण्डन किया जाना वैध है।

(ii) यदि ऋषि तार को पहले खोलता है (जोकि सामान्यतया किसी भी साधारण समझ वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा) और उसे पढ़ लेता है तो स्वीकृति खण्डित समझी जाती है। यदि वह पत्र को पहले खोलता है और उसे पढ़ता है तो स्वीकृति का खण्डन संभव नहीं होगा, क्योंकि अनुबन्ध पहले ही सम्पूर्ण हो चुका होगा।

2. (अ) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत स्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित सामान्य नियम हैं–

(i) स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित होनी चाहिए। इस अधिनियम की धारा 7 के अनुसार कोई भी स्वीकृति तभी वैध मानी जाएगी जब वह पूर्ण एवं अप्रतिबंधित या शर्त रहित हो।

(ii) स्वीकृति अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। यदि कोई प्रस्ताव निर्धारित तरीके से स्वीकार नहीं किया गया है, तो प्रस्तावक उस स्वीकृति को उचित अवधि में अस्वीकार कर सकेगा।

(iii) प्रस्तावक को स्वीकृति का संप्रेषण आवश्यक है। यदि स्वीकृति प्रस्तावक से भिन्न किसी व्यक्ति को संप्रेषित की जाती है तो कोई वैधानिक सम्बन्ध स्थापित नहीं होता। इसलिए दो पक्षकारों में अनुबन्ध को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि स्वीकृति को किसी स्पष्ट रूप में संप्रेषित किया जाए।

(iv) स्वीकृति उस पक्षकार द्वारा ही की जानी चाहिए जिसे प्रस्ताव किया गया हो।

(v) स्वीकृति निर्धारित समय सीमा में या उचित अवधि में अवश्य की जानी चाहिए।

(vi) स्वीकृति प्रस्ताव के संप्रेषण से पूर्व नहीं की जा सकती है।

(vii) स्वीकृति प्रस्ताव के कालातीत हो जाने अथवा वापस लिये जाने से पहले होनी चाहिए।

(viii) स्वीकृति को किये गये वायदे को पूरा करने की भावना को प्रकट करना चाहिए।

(ix) मौन को स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(x) **कार्य द्वारा स्वीकृति/किसी शर्त को पूरा करने पर स्वीकृति :** स्वीकृति शर्त को कार्यान्वित करने से/प्रस्ताव के अनुसार कृत्य करके भी हो सकती है।

(ब) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के तहत गिरवीग्राही को सुपुर्दगी : पूछा गया सवाल भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 149 में दिये गये प्रावधानों पर आधारित है (निक्षेपग्रहीता तथा गिरवीग्राही को माल की सुपुर्दगी)। इस धारा में यह व्यवस्था है कि निक्षेपग्रहीता को माल की सुपुर्दगी वास्तविक अथवा रचनात्मक रूप

© The Institute of Chartered Accountants of India

में अथवा बैंक को अधिकार–पत्र (Attornment) द्वारा सुपुर्दगी। ऐसी दशा में माल के अधिकार के हस्तान्तरण की कानूनी प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है, न कि वास्तविक अथवा रचनात्मक अभिरक्षा में। यद्यपि निक्षेपी के पास माल का कब्जा है तथापि उस पर निक्षेपग्रहीता का अधिकार है।

दिये गये प्रश्न में माल की सुपुर्दगी रचनात्मक रूप में हुई है अर्थात हस्तान्तरण द्वारा निक्षेपग्रहीता (गिरवीग्राही) तथा A, निक्षेपी के पास माल का कब्जा बैंक, निक्षेपग्रहीता/गिरवीग्राही का कब्जा माना जाएगा। एक रचनात्मक गिरवी का अनुबन्ध अस्तित्व में आ जाता है जैसे ही गिरवीकर्ता, बिना वास्तविक रूप से माल की सुपुर्दगी दिये, माँगने पर सुपुर्दगी का वचन देता है। अतः यह संव्यवहार वास्तविक गिरवी है। इस बिन्दु के स्पष्टीकरण के लिए आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा बैंक ऑफ चित्तुर लि. बनाम् नरसिंमहुलु, AIR 1966 A.P. 163 का आदेश प्रासंगिक है।

3. (अ) दिये गए उदाहरण के सारे तथ्य एच.एन.डी. मुला फिरोज बनाम् सी.वाई.सोमाया जुलू बेस के वाद के समान है। इस वाद में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि यद्यपि प्रार्थी पर कानूनी दायित्व है कि वह उस राशि को अपीलार्थी को वापस दे, प्रार्थी उस चैक को जारी नहीं करता है जो कि अनादरित हुआ था और वह उस खाते से भी जारी नहीं किया गया जो उसके द्वारा अनुरक्षित है बल्कि उस खाते से जारी किया गया जो कि कम्पनी द्वारा अनुरक्षित है। इसलिए न्यायालय ने निर्णय दिया कि अपीलार्थी जॉन ने धारा 138 के तहत कोई अपराध नहीं किया है। अतः उस चैक के लिए उसकी कोई देयता नहीं बनती है, परन्तु खरीदे गये सामान के भुगतान के लिए वह विधिक रूप से दायी है।

(ब) अवयस्क का किसी परक्राम्य विलेख में पक्षकार होना – परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 की धारा 26 के अनुसार ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अवधि के अनुसार जिसके वह अध्यधीन है, संविदा करने के लिए समर्थ है, वचन–पत्र, विनिमय–पत्र या चैक की रचना, लेखन, प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन, परिदान और पराक्रमण करके अपने को आबद्ध कर सकेगा।

क्योंकि अवयस्क द्वारा किया गया कोई भी अनुबंध शून्य होता है, वह अपने आपको किसी परक्राम्य विलेख का पक्षकार बनाकर आबद्ध नहीं कर सकता परन्तु वह ऐसे लिखत का लेखन, पृष्ठांकन, परिदान और पराक्रमण कर सकता है कि स्वयं उसके सिवाय सब पक्षकार आबद्ध हो जाएं।

अतः धारा 26 के प्रावधानों को देखते हुए Mr. Big व Mr. Minion द्वारा जारी वचन–पत्र वैध है, चाहे एक अव्यस्क भी इस वचन–पत्र का पक्षकार हो। चूंकि Minion एक अवयस्क है, वह उस वचन से आबद्ध नहीं है किन्तु उसका आबद्ध न होना दूसरे सहयोगी प्रस्तावकों जैसे Mr. Big को अपने दायित्व से मुक्त नहीं करता। (सुलोचना बनाम् पंडीयन बैंक लि. ए आई आर, 1975 मद्रास 70)।

© The Institute of Chartered Accountants of India

4. परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 की धारा 84 में प्रावधान किया गया है कि जब कोई चैक युक्तियुक्त समय के भीतर भुगतान के लिए बैंक को संदाय के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता, और जहां तक वह व्यक्ति जिसने चैक जारी किया है या जिस जिस व्यक्ति के खाते से वह चैक जारी किया गया है, उस व्यक्ति और बैंक के बीच का सम्बन्ध है, वहां तक चैक जारीकर्ता या ऐसे व्यक्ति को उस समय जबकि वह उपस्थित किया जाना चाहिए था, या अधिकार प्राप्त था, कि चैक का संदाय किया जाये और इस विलम्ब के कारण वास्तव में नुकसान उठाता है, वहां वह ऐसे नुकसान की मात्रा से उन्मोचित हो जाता है अर्थात् उस सीमा तक जिस तक ऐसा जारीकर्ता या व्यक्ति उस रकम के लिए बैंक का लेनदार है जिस रकम का लेनदार वह होता यदि चैक का संदाय कर दिया होता। युक्तियुक्त समय सीमा क्या होगी, की अवधारणा करने के लिए लिखत की प्रकृति को, व्यापार और बैंकारों की प्रथा को और उस विशिष्ट मामले के तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा।

उपरोक्त प्रावधानों को यहां लागू करने पर ज्ञात होता है कि चैक धारक ने चैक बैंक को युक्तियुक्त समय सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं किया है जबकि जारीकर्ता के खाते में चैक का भुगतान करने की राशि उपलब्ध थी और जारीकर्ता वास्तव में नुकसान उठाता है इसलिए जारीकर्ता अपने दायित्व से पूर्णतया मुक्त है।

5. **वेतन/मजदूरी की गणना** : बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की धारा 2(21) के अनुसार वेतन और मजदूरी से अभिप्राय धन के रूप में अभिव्यक्त किये जाने के योग्य, समयोपरि भत्ते के अतिरिक्त, उन सभी पारिश्रमिक से है, जो नियोजन की शर्तें पूर्ण होने की दशा में, चाहे वे स्पष्ट हों या गर्भित, कर्मचारी को उनके नियोजन के या ऐसे नियोजन के दौरान किए गए काम के सम्बन्ध में दिये जा सकेंगे। इसमें मंहगाई भत्ता भी शामिल है अर्थात् सभी नकद भुगतान चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाते हों, और जो निर्वाह व्यय में वृद्धि होने के कारण कर्मचारी को दिये जाते हों।

परन्तु निम्नलिखित भुगतान इसके अन्तर्गत नहीं आते–

(i) कोई अन्य भत्ता जिसको प्राप्त करने के लिए वह कर्मचारी त्तसमय हकदार है;

(ii) किसी गृह–आवास सुविधा की कीमत अथवा विद्युत, जल, चिकित्सा सुविधा या अन्य किसी प्रकार की सुख सुविधाओं की आपूर्ति या रियायती दर पर खाद्यान्न या अन्य वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य;

(iii) यात्रा सम्बन्धी कोई रियायत;

(iv) किसी प्रकार का बोनस जिसमें प्रोत्साहन, उत्पादन एवं उपस्थिति बोनस शामिल है;

(v) तत्समय लागू किसी विधि के अधीन नियोजक द्वारा किसी पेंशन फण्ड़ में या कर्मचारी के लाभ के लिए दिया गया या देय अंशदान;

(vi) कोई छंटनी का मुआवजा या कोई ग्रेच्यूइटी या कर्मचारी को देय अन्य कोई सेवा निवृत्ति लाभ या उसे किया गया कोई अनुग्रहपूर्वक (Ex-gratia) भुगतान; तथा

(vi) कर्मचारी को देय कोई कमीशन।

© The Institute of Chartered Accountants of India

इस धारा के स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि जब किसी कर्मचारी को देय उसके पूरे वेतन या उसके किसी भाग के या मजदूरी के बदले में उसके नियोजक द्वारा मुफ्त भोजन भत्ता या मुफ्त भोजन दिया जाता है, वहां ऐसा भत्ता या भोजन का मूल्य, इस खण्ड के प्रयोजन के लिए ऐसे कर्मचारी का वेतन या मजदूरी का भाग समझा जाएगा।

उपरोक्त वर्णित धारा 2(21) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि नियोजक से प्राप्त महँगाई भत्ता और मुफ्त भोजन भत्ता पीटर के वेतन का भाग माना जाएगा, जबकि तीन अन्य भुगतान जैसे समयोपरि काम के लिए भुगतान, सेल्स कमीशन और पेंशन कोष के प्रति नियोजक का अंशदान वेतन के भाग नहीं माने जाएंगे।

6. जैसा कि, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की धारा 10 में दिया गया है, जब किसी लेखा वर्ष में उपलब्ध अभिशेष उस न्यूनतम बोनस से ज्यादा हो जाती है जो कि इस धारा के अन्तर्गत कर्मचारियों को दिया जाना है, तो नियोक्ता के लिए यह अनिवार्य होगा कि प्रत्येक कर्मचारी को उस न्यूनतम बोनस के बदले में, उस लेखा वर्ष के लिए उस कर्मचारी द्वारा अर्जित उस लेखा वर्ष के दौरान वेतन या मजदूरी के आधार पर बोनस देगी जो कि अर्जित वेतन या मजदूरी पर अधिकतम 20 प्रतिशत होगा।

अतः दिए गये मामले में कम्पनी कर्मचारियों को लेखांकन वर्ष के दौरान कमाई गई वेतन या मजदूरी का कम से कम 8% व ज्यादा से ज्यादा 20% तक देने को स्वतंत्र है। ऊपर दिये गये तथ्यों के अनुसार यह माना जा सकता है कि 20% तक बोनस दिया जा सकता है।

फिर भी देय अधिकतम बोनस के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण शब्द है "वितरण योग्य अभिशेष"। अधिकतम बोनस की देयता वितरण योग्य अभिशेष से उत्पन्न होती है लेकिन उससे सीमित नहीं होती क्योंकि वितरण योग्य अभिशेष 20% से अधिक की दर को उचित सिद्ध कर सकता है लेकिन फिर भी बोनस 20% तक ही सीमित रहेगा।

7. **कर्मचारी भविष्य विधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार भविष्य निधि में योगदान** : कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 6 नियोक्ता एवं कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम के लिए किये जाने वाले योगदान को नियमित करती है।

नियोक्ता का योगदान प्रत्येक उस कर्मचारी के जो उसके द्वारा अथवा ठेकेदार के द्वारा नियुक्त किया गया हो, के मूल वेतन, उस पर देय महंगाई भत्ता, सेवारत भत्ता, यदि कोई हो के कुल योग का 10% होगा।

कर्मचारी द्वारा योगदान उसके नियोक्ता द्वारा किये जा रहे योगदान के बराबर होगा।

महंगाई भत्ते में कर्मचारियों को दिये जाने वाली खाने की छूट भी समाहित होगी। सेवारत रखने के भत्ते का अर्थ है कि वह भत्ता जो कि कर्मचारी को फैक्टरी न चलते हुए सेवा में रखने के लिए दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियोक्ता का योगदान कुछ प्रतिष्ठानों या उस श्रेणी के प्रतिष्ठानों में 12 प्रतिशत कर सकती है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

कर्मचारी यदि चाहे तो वह अपने मूल वेतन, महंगाई भत्ता, सेवारत भत्ता यदि कोई हो, से 10% अधिक योगदान कर सकता है लेकिन इस शर्त पर कि उसका नियोक्ता इस धारा के अनुसार देय योग्य योगदान से अधिक योगदान करने के लिए किसी प्रकार से बाध्य नहीं है।

महंगाई भत्ते में कर्मचारियों को स्वीकृत खाने की छूट की नकद राशि शामिल है। सेवारत भत्ते से तात्पर्य है वह मूल्य जो फैक्ट्री के चालू न होने पर सेवा में रखने के लिए दिया जाए। केन्द्र सरकार अधिसूचना जारी कर कुछ संस्थानों में या किसी श्रेणी के संस्थानों में नियोक्ता का योगदान 12% के बराबर कर सकती है।

8. कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 7Q के अनुसार नियोक्ता इस अधिनियम के तहत अपने उपर किसी भी बकाया राशि पर देय भुगतान की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज या योजना में निर्दिष्ट ऐसी ऊँची ब्याज दर से भुगतान करने का दायी होगा।

बशर्ते कि योजना में निर्दिष्ट ऊँची ब्याज दर अनुसूचित बैंक द्वारा ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर से अधिक नहीं होगी।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार सतीश, 12% वार्षिक दर या योजना में निर्दिष्ट ऊँची दर, जो भी अधिक हो, से साल भर का ब्याज प्राप्त कर सकता है। लेकिन चूँकि योजना में ऊँची दर निर्दिष्ट नहीं है, S केवल बकाया देय पर 12% वार्षिक दर से ब्याज पाने का अधिकारी है।

अतः सतीश द्वारा 15% की दर से ब्याज की माँग मान्य नहीं है।

9. शारीरिक रूप से अपंग कर्मचारी को देय उपदान की गणना–

उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4(4) के अनुसार जब कोई कर्मचारी किसी दुर्घटना या रोग के कारण शारीरिक रूप से उसी कार्य को करने के लिए अपंग हो जाता है जो कार्य वह पहले कर रहा होता है और पुनः सेवा में कम वेतन पर किसी और कार्य को करने के लिए रख लिया जाता है तो उसको देय उपदान की गणना दो भागों में की जाती है–

- **अपंगता के पहले की अवधि के लिए :** उसके द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन/मजदूरी के आधार पर जो अपंगता के समय उसको प्राप्त थी;
- **अपंगता के बाद की अवधि के लिए :** सेवा की समाप्ति पर अपंगता के समय उसके द्वारा प्राप्त किया गया कम वेतन/मजदूरी के आधार पर।

भारत कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज बनाम राम प्रसाद के मामले में यह निर्णय दिया गया कि गणना के प्रयोजन के लिए उपदान की राशि अनुबन्ध या किसी समझौते के अनुसार यदि अधिनियम द्वारा देय राशि से अधिक है या बेहतर है तो कर्मचारी वह राशि ले सकता है। हालांकि धारा 4 की उप–धारा 3 के अनुसार प्राप्त अधिकतम सांविधिक सीमा (कर्मचारी को देय अधिकतम उपदान राशि ₹ 10 लाख से अधिक नहीं होगी) को किसी अनुबन्ध या समझौते के अन्तर्गत कम नहीं किया जा सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

10. उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4(1) के अनुसार किसी कर्मचारी को रोजगार की समाप्ति पर उपदान देय होना जिसने अपनी अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्ति अथवा त्यागपत्र के समय, अथवा अपनी मृत्यु अथवा दुर्घटना या बीमारी के कारण अपनी अपंगता के समय कम से कम 5 वर्ष तक लगातार सेवा प्रदान की हो।

इस उपधारा के परन्तुक के अनुसार लगातार 5 वर्ष की सेवाकाल वहां आवश्यक नहीं होगी जहां किसी कर्मचारी की रोजगार समाप्ति अपंगता के कारण हो। अपंगता का आशय ऐसी अपंगता से है जो एक कार्मिक को उस कार्य को करने में असमर्थ कर देती है जिसे वह दुर्घटना या बीमारी से पूर्व कर पाने में समर्थ था।

दी गई समस्या उपयुक्त सभी शर्तों को पूरा करती है। Elle स्थायी रूप से निशक्त होने के कारण उपदान प्राप्त करने का हकदार है। इस मामले में 5 वर्ष की लगातार सेवा की शर्त आवश्यक नहीं है। अतः कम्पनी इस आधार पर उपदान देने से मना नहीं कर सकती है कि Elle ने केवल एक वर्ष ही सेवा की है।

11. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 464 के अनुसार ऐसे किसी कारोबार को करने के प्रयोजन के लिए जिसने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए संगम या भागीदारी का या उसके प्रत्येक सदस्य का अभिलाभ प्राप्त किया है, उतनी संख्या से अधिक व्यक्तियों का जो विहित की जाए, कोई संगम या भागीदारी गठित नहीं की जाएगी। जब तक कि उसे इस अधिनियम के अधीन कम्पनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसको विरचित नहीं किया जाता। इसके अलावा निर्धारित व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होंगी।

प्रश्न में बताये संघटन में निर्धारित व्यक्तियों की संख्या 100 से ज्यादा सदस्य है यानि उसमें 120 सदस्य हैं। जहॉ कोई संगठन बनाया जाता है जिसके सदस्यों की संख्या उपरोक्त संख्या से अधिक होगी वह अवैध संगठन होगा, जिसका कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है और जिसका कम्पनी अधिनियम के तहत समापन नहीं हो सकेगा और न ही यह अपंजीकृत कम्पनी की तरह होगी। न तो संघटन के सदस्य इस पर वाद कर सकते हैं और न ही यह किसी सदस्य पर वाद कर सकती है।

उपरोक्त कानून के उल्लंघन करने पर ऐसे व्यवसाय चलाने वाले संघटन या भागीदारी फर्म के सदस्यों पर ₹ 1,00,000 तक की पेनल्टी से दण्डित किया जा सकेगा और सभी देनदारियों के लिए वे व्यक्तिगत रूप से दायी होंगे।

12. प्रस्तुत अनुबन्ध प्रस्तावकों द्वारा फर्नीचर की खरीद के लिए किया गया है। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार XYZ कम्पनी लिमिटेड द्वारा निगमन के उपरान्त भुगतान का प्रावधान है। निगमन पूर्व अनुबन्ध कम्पनी पर बाध्यकारी नहीं होते हैं क्योंकि तब तक वह अस्तित्व में नहीं आती है। इस प्रकार के अनुबन्ध प्रस्तावकों द्वारा कम्पनी के एजेन्ट के रूप में भी नहीं किये जा सकते क्योंकि कम्पनी अस्तित्व में नहीं है और प्रतिनिधियों की नियुक्ति नहीं कर सकती।

अतः फर्नीचर खरीद का अनुबन्ध कम्पनी पर बाध्यकारी नहीं है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

कम्पनी के प्रवर्तक उन अनुबन्धों के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे जो उन्होंने उस कम्पनी के लिए किये हैं जो अस्तित्व में नहीं है। ऐसा अनुबन्ध प्रवर्तकों द्वारा व्यक्तिगत रूप में किया गया अनुबन्ध माना जाता है और वे उस अनुबन्ध को जो उन्होंने कम्पनी के नाम से किया है, पूरा न करने के कारण उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य हैं (स्कॉट बनाम लॉर्ड एबुरी)। यद्यपि उस अनुबन्ध में यह स्पष्ट रूप में प्रावधान किया गया था कि उस अनुबन्ध के परिपालन के लिए केवल कम्पनी ही उत्तरदायी होगी।

कैल्नर बनाम बैक्सटर के मामले में भी यही निर्णय दिया गया था कि वे व्यक्ति यानि प्रवर्तक जिन्होंने उस अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किये हैं, व्यक्तिगत रूप से इस अनुबन्ध के लिए उत्तरदायी और देय हैं।

कोई भी कम्पनी अपने निगमन से पूर्व किये गये अनुबन्ध जो कि उसके प्रवर्तकों द्वारा किये गये हों, की पुष्टि नहीं कर सकती है। इसलिए कम्पनी ऐसे किसी अनुबन्ध के अनुमोदन या अनुसमर्थन करने से उस अनुबन्ध का लाभ नहीं उठा सकती है जो कि उसके अस्तित्व में आने से पूर्व उसके लिए किये गये हों क्योंकि कम्पनी के अस्तित्व में आने के बाद अनुसमर्थन संभव नहीं है। अनुसमर्थन का सिद्धान्त तभी लागू होता है जब यदि कोई एजेन्ट अपने ऐसे मालिक के लिए जो कि अस्तित्व में है और जो कि अनुबन्ध करने के लिए उस समय सक्षम है जबकि एजेन्ट के द्वारा अनुबन्ध किया जाता है।

कम्पनी यदि चाहे, जब उसका निगमन हो जाये, तो दूसरे पक्षकार से नया अनुबन्ध कर सकती है। ऐसा नया अनुबन्ध उन्हीं शर्तो पर हो सकता है जो कि प्रवर्तकों द्वारा निगमन पूर्व अनुबन्ध में की गई थीं। निगमन पूर्व किये गये अनुबन्धों का अनुमोदन कम्पनी और दूसरे पक्षकारों में कोई अनुबन्ध नहीं बन सकता है चाहे उस अनुबन्ध का विकल्प कम्पनी के सीमानियमों में कर दिया गया हो। इसलिए प्रवर्तकों के लिए यह एक सुरक्षित तरीका है कि ऐसी कम्पनी जिसके लिए वे अनुबन्ध कर रहे हैं और जो बनायी जा रही है उसके अनुबन्ध में यह प्रावधान करें कि (A) यदि कम्पनी निगमन के उपरान्त पुराने अनुबन्ध की शर्तों पर नया अनुबन्ध कर लेती है तो कम्पनी के प्रवर्तकों की देयता समाप्त हो जायेगी और (B) यदि कम्पनी सीमित समय में नया अनुबन्ध नहीं कर सकती है तो दोनों में से कोई भी पक्ष उस अनुबन्ध को रद्द कर सकता है।

अतः उपरोक्त सिद्धान्तों को लागू करने से पूछे गये प्रश्न का उत्तर निम्न रूप में दिया जा सकता है–

(i) पहली अवस्था में प्रवर्तक फर्नीचर आपूर्तिकर्ता के प्रति उत्तरदायी तथा देय है, क्योंकि कम्पनी ने फर्नीचर आपूर्तिकर्ता के साथ कोई नया अनुबन्ध नहीं किया है। इसलिए उपरोक्त कारणों से प्रवर्तक इस मामले में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं।

(ii) दूसरे मामले में यदि कम्पनी निगमन से पूर्व किये अनुबन्ध की शर्तों पर नया अनुबन्ध कर लेती है तो प्रवर्तकों की देयता समाप्त हो जाएगी।

13. (1) साधारण प्रस्ताव/संकल्प : एक प्रस्ताव, साधारण प्रस्ताव होगा यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक सूचना (नोटिस) अपेक्षित समय पर दे दी गई है और जिसे सदस्यों द्वारा डाले गये मतों द्वारा संकल्प के पक्ष में हाथ उठाकर या इलेक्ट्रोनिक

© The Institute of Chartered Accountants of India

रूप में या मतदान पर मत डालकर, जिसके अन्तर्गत सभापति का निर्णायक मत भी है, यदि कोई हो, पारित किया जाना अपेक्षित है, जो ऐसा करने के लिए हकदार होते हुए व्यक्तिगत रूप से या जहां परोक्षी अनुज्ञात किये गये हैं वहां परोक्षी द्वारा या डाक मतपत्र द्वारा इस प्रकार हकदार और मत देने वाले सदस्यों द्वारा संकल्प के विरोध में डाले गये मतों से, यदि कोई हों, अधिक मत डालते हैं।

(2) विशेष प्रस्ताव : कोई प्रस्ताव विशेष प्रस्ताव होगा जब–

(अ) साधारण सभा बुलाते समय सूचना (Notice) में प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव की तरह रखने का आशय किया गया है तथा सदस्यों को प्रस्ताव के सम्बन्ध में साधारण सभा व अन्य की सूचना दे दी गई है;

(ब) अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना (Notice) दे दी गई है; और

(स) प्रस्ताव के पक्ष में यथास्थिति चाहें तो हाथ उठाकर, इलेक्ट्रोनिक रूप से, या मतदान पर ऐसे सदस्यों द्वारा डाले गये मत जो ऐसा करने के हकदार होते हुए भी या स्वयं परोक्षी द्वारा या डाक मतपत्र द्वारा मत देते हैं।

14. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 121 के अनुसार प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा की रिपोर्ट तैयार कर रजिस्ट्रार के पास फाइल करवानी होगी। धारा के अनुसार–

(1) सूचीबद्ध कम्पनी द्वारा रिपोर्ट तैयार करना : प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा के सम्बन्ध में विहित रीति से एक रिपोर्ट, उस प्रभाव की पुष्टि सहित कि अधिवेशन इस अधिनियम और अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संयोजित, आयोजित और संचालित किया गया था, तैयार करेगी।

(2) रिपोर्ट को रजिस्ट्रार के पास फाइल करवाना : कम्पनी वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति से तीस दिनों के अन्दर उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपार्ट की एक प्रति, ऐसे शुल्क के साथ जो विहित की जाए, या धारा 403 के अधीन विर्निदिष्ट समय के भीतर ऐसी अतिरिक्त फीस के साथ, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रार को फाइल करेगी।

(3) रिपार्ट फाइल करने में गलती : यदि उपधारा 403 के अन्तर्गत कम्पनी विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व, अतिरिक्त शुल्क के साथ रिपोर्ट को फाइल कराने में असमर्थ रहती है, तो कम्पनी ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो ₹ 5 लाख तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगी और कम्पनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी जुर्माने से जो ₹ 25,000 से कम का नहीं होगा, किन्तु जो ₹ 1 लाख तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

कम्पनीज़ (मैनेजमेन्ट और एडमिनिस्ट्रेशन) नियम (Rules) 2014 के अन्दर वार्षिक साधारण सभा की रिपोर्ट से संबंधित नियम दिये गये हैं, जिनके अनुसार–

(I) **रिपोर्ट निम्नलिखित तरीके से तैयार होगी, जैसे–**

(अ) इस धारा के अन्तर्गत साधारण सभा के मिनिट्स के अतिरिक्त रिपोर्ट तैयार होगी;

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ब) रिपोर्ट पर सभा के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर व दिनांक अंकित किये जाएंगे। रिपोर्ट या उसके हस्ताक्षर करने में अक्षम होने पर कम्पनी के दो संचालकों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे जिनमें से एक कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक, यदि कोई है, और कम्पनी सेक्रेटरी होगा।

(स) रिपोर्ट में निम्न विवरण सम्मिलित होंगे–

(i) वार्षिक साधारण सभा का दिन, दिनांक, घंटे और स्थान का विवरण;

(ii) सभा के अध्यक्ष की नियुक्ति के सम्बन्ध में पुष्टि;

(iii) सदस्यों की संख्या जो सभा में भाग लेंगे;

(iv) कोरम की पुष्टि;

(v) अधिनियम और नियमों के अनुपालन, सेक्रेटेरियल मानकों, सभा को बुलाने, आयोजित करने और रखने के लिए बनाये गये संबंधित प्रमाणीकरण;

(vi) सभा में किये गये व्यापारिक लेनदेन और उनके परिणाम;

(vii) सभा का स्थगन, विलम्बन और स्थान में बदलाव के सम्बन्ध में विवरण; और

(viii) अन्य कोई बिन्दु जिसे रिपोर्ट में शामिल किया जाता है।

(द) सभा की कार्यवाही का सारांश सही एवं उचित रूप में रिपोर्ट में शामिल होना चाहिए।

(II) उपरोक्त तैयार रिपोर्ट की कॉपी को रजिस्ट्रार के पास वार्षिक आमसभा के समापन से 30 दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क के साथ जमा करानी होगी।

15. हाँ, निदेशक को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 34 एवं 35 के अन्तर्गत कथित मिथ्या वर्णन के लिए उत्तरदायी ठहराया जायेगा। धारा 34 के तहत आपराधिक दण्ड प्रत्येक उस व्यक्ति पर लगेगा जो ऐसे मिथ्यावर्णन को प्रविवरण में अधिकृत रूप में जारी करते हैं जबकि धारा 35 में सिविल दण्ड के लिए कम्पनी के निदेशक विशेष रूप से शामिल हैं।

कोई निदेशक निम्न दो परिस्थितियों में ही मिथ्यावर्णन के अपने उत्तरदायित्व से बच सकते हैं–

(अ) धारा 34 की आपराधिक देयता लागू नहीं होगी यदि वह व्यक्ति यह साबित कर दे कि ऐसा विवरण या भूल अमहत्वपूर्ण है या यदि उसके पास ऐसा करने का समुचित आधार है कि दिये गये विवरण सत्य हैं और ऐसा विवरण या भूल जरूरी थी।

(ब) किसी व्यक्ति पर धारा 35 की सिविल देयता लागू नहीं होगी यदि वह यह साबित कर दे कि :

© The Institute of Chartered Accountants of India

(i) कम्पनी का निदेशक बनने की स्वीकृति देने के बाद उसने प्रविवरण जारी किये जाने से पूर्व अपनी सहमति को वापस ले लिया था तथा वह उसकी अधिकृति या सहमति के बिना जारी किया गया है।

(ii) प्रविवरण उसकी जानकारी या सहमति के बिना जारी किया गया था और जब उसे इसके विषय में जानकारी हुई तो वह उचित सार्वजनिक नोटिस जारी करता है कि यह उसकी जानकारी या सहमति के बिना जारी किया गया है। इस मामले में निदेशक यह बहाना देकर बच नहीं सकते कि उन्होंने प्रर्वतकों पर प्रविवरण में सही कथन देने का विश्वास किया था। अतः वह प्रविवरण में मिथ्यावर्णन के लिए उत्तरदायी होगा।

16. **नीतिशास्त्र :** नीतिशास्त्र शब्द के अनेक अर्थ हैं। नीतिशास्त्र का आशय व्यक्ति अथवा समूह के आचरण सम्बन्धित सिद्धान्तों से है। एक अन्य परिभाषा के अनुसार, नीतिशास्त्र का सम्बन्ध अच्छे अथवा बुरे आचरण से है तथा यह नैतिक कर्तव्य और दायित्वों के बारे में बताता है।

व्यावसायिक नीतिशास्त्र : व्यापक तौर पर, व्यावसायिक नीतिशास्त्र से अभिप्राय नैतिक तथा नीतिशास्त्र के सिद्धान्तों को व्यवसाय में लागू करने से है। व्यावसायिक नीतिशास्त्र का अभिप्राय उन सिद्धान्तों तथा मानकों से है जो व्यावसायिक संगठनों में अपेक्षित व्यवहार का निर्धारण करते है।

व्यावसायिक नीतिशास्त्र के अनुसार एक व्यवसायी को निम्नलिखित जानकारी के साथ कार्य करना चाहिए :

(अ) नियमों का पालन करना, जैसे– (i) देश के कानून, (ii) जनसमुदाय के रीति–रिवाज़ तथा अपेक्षाएँ, (iii) नैतिकता के सिद्धान्त, (iv) संगठन की नीतियां, तथा (v) सामान्य चिन्ताएं जैसे–अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताएँ तथा औचित्य।

(ब) किस प्रकार से व्यवसाय के उत्पाद, सेवाएँ तथा कार्यवाही व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षों को सकारात्मक अथवा नकारात्मक जैसे भी, प्रभावित करती हैं। (उदाहरण के लिए, कर्मचारी, उपभोक्ता, सप्लायर्स, अंशधारी तथा जन–समूह अथवा समाज आदि)

17. भेदभाव का मूल अर्थ होता है 'एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अन्तर करना'। नियुक्ति भेदभाव का अर्थ है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, आयु, लिंग, जाति, धर्म या अन्य आरक्षित श्रेणी या सामाजिक स्थान के आधार पर भेदभाव करना। नियुक्ति में भेदभाव करना गलत है, क्योंकि यह समानता के मूल सिद्धान्त के विरुद्ध होता है। भेदभाव का अर्थ है लोगों से अलग तरीके से बर्ताव करना। यह सामान्यतः इसलिए किया जाता है जिससे व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर न करके किसी गलत कारण के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को लाभ दिया जा सके।

भेदभाव के तत्व : सामान्यतः भेदभाव का अर्थ होता है एक वस्तु का किसी अन्य वस्तु से अन्तर करना या लोगों से भिन्नता के आधार पर बर्ताव करना। यह सामान्यतः किसी व्यक्ति

© The Institute of Chartered Accountants of India

को गलत रूप से लाभ पहुँचाने के लिए किया जाता है न कि व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर। ऐसा भेदभाव व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नियुक्ति प्रदान करते समय भी किया जा सकता है। वह तत्व जिनसे भेदभाव उत्पन्न किया जाता है, निम्न होते हैं –

(i) यदि कोई निर्णय एक कर्मचारी या एक से अधिक व्यक्तियों के प्रति किया जाता है और ऐसा निर्णय व्यक्तिगत योग्यता जैसे कि वह व्यक्ति उस कार्य को कर सकता है या नहीं या उसकी वरिष्ठता या अन्य नीतिशास्त्र समस्त वैधानिक योग्यता है या नहीं, पर आधारित होती है।

(ii) यदि लिया गया निर्णय मुख्य रूप से जाति या लिंग भेद पर आधारित है या उसी प्रकार झूठ या अन्य प्रकार के नैतिक रूप से अनुचित धारणा, उन लोगों के बारे में, जिनमें से वह कर्मचारी आता है।

(iii) यदि ऐसे निर्णय कर्मचारियों के हितों पर दुष्प्रभावी या नकारात्मक प्रभाव डालते हैं जिससे उनकी नौकरी जा सकती है या उनकी उन्नति रुक सकती है या उनके वेतन को प्रभावित करती है।

नौकरी में भेदभाव गलत होता है, क्योंकि यह न्याय के मूलभूत सिद्धान्त का उल्लंघन करता है, जहां लोगों के बीच जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, विशेषकर यदि वह उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों से सम्बन्धित नहीं है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इससे सम्बन्धित विधान में भी परिवर्तन किया गया है, ताकि ऐसा विधान नैतिक अपेक्षाओं को पूरा करे और नौकरी में कम से कम भेदभाव हो सके।

18. नीतिशास्त्र का प्रबंधन तथा व्हिसल–ब्लोइंग को रोकना : नीतिशास्त्र प्रबन्धन के मूल मूल्यों पर ध्यान देना और सुदृढ़ नीतिशास्त्र को अपनाना ही प्रबन्धन का सबसे उत्तम साधन है। अब इसके दूरगामी प्रभावों को पहचाना जा रहा है तथा प्रशासन को नीतिशास्त्र के आधार पर चलाने का प्रयास किया जा रहा है। ताकि ऐसी नीतियाँ अपनायी जा सकें जिससे कि व्हिसल–ब्लोइंग को रोका जा सके।

वह नियोक्ता जो कार्यस्थल के नीतिशास्त्र को समझते हैं, अपनी श्रम–शक्ति को एक प्रभावी तथा सशक्त ढाँचा देते हैं और उनकी भलाई के लिए ऐसे सिद्धान्तों का मार्गदर्शन करते हैं कि उनकी समस्त समस्याएँ जैसे ही उत्पन्न हों उनका समाधान हो जाये। यह मार्गदर्शन की नीति जो कि समस्त विषयों के प्रबंधन के लिए और कार्यस्थल पर व्हिसल–ब्लोइंग को रोकने के लिए है। इसका सारांश निम्न है–

(a) नीति तथा व्यवहार का एक मापदण्ड स्थापित करना।

(b) मुक्त संचार स्थापित करना।

(c) समस्त नीतिगत निर्णयों को समूह में करना तथा ऐसे निर्णयों को उचित समय पर सार्वजनिक करना।

(d) दूसरे विषयों के प्रबंधन के साथ नीतिशास्त्र को मिलाना।

(e) नैतिक प्रबन्धन कार्यक्रमों को बनाते समय विभिन्न कार्यशील टीमों का उपयोग करना।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(f) एक पर्यवेक्षक को नियुक्त करना।

(g) एक विश्वसनीय वातावरण उत्पन्न करना।

(h) नीतियों तथा प्रक्रियाओं का सामयिक अवलोकन तथा नवीनीकरण करना।

(i) कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण नीति बनाना।

(j) कम्पनी में उच्चतम स्तर पर उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करना तथा स्थापित करना।

19. (i) पर्यावरण नीतिशास्त्र विचार पर आधारित है कि वातावरण की केवल इसलिए रक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वह मानव का हित कर सके बल्कि उसकी रक्षा स्वयं उसके लिए भी की जानी चाहिए। पर्यावरण नीतिशास्त्र का विषय विस्तार केवल पर्यावरण की रक्षा या प्रकृति की रक्षा ताकि प्रदूषण या संसाधनों का उपयोग या कचरे के निपटारन तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि उससे बहुत आगे तक होता है।

उद्योग और व्यापार संसाधनों के उपयोग और पर्यावरण दोनों से ही सम्बन्धित हैं। उत्पादन प्रक्रिया और उत्पादों की प्रक्रिया में पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी और कचरे का न्यूनीकरण पर्यावरण और संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। व्यापार, उद्योग और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को पर्यावरण प्रबन्धन का महत्व समझना और पहचानना चाहिए और स्थिर विकास के लिए इसे प्राथमिकता के आधार पर अपनाना चाहिए। कचरे का समर्थ प्रबन्धन आज के पर्यावरण समस्याओं के समाधान के लिए इसलिए आवश्यक है कि पृथ्वी के पर्यावरण को ऐसे उचित तरीके से बनाया और रखा जाये ताकि स्थाई विकास के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यदि पर्यावरण पर आने वाली लागत माल और सेवाओं में दिखलाया जाये तो कम्पनियाँ और ग्राहक दोनों ही अपने बाजार व्यवहार को इस प्रकार से अपना लेंगे जिससे वाताावरण को क्षति, प्रदूषण और कचरे का उत्पादन कम हो जायेगा। मूल्य संकेत द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन और उपयोग पर भी अंकुश लग जायेगा। यह उपाय 'प्रदूषणकर्ता मूल्य चुकाये' के सिद्धान्त को फैलाने में सहायक होगा। अनुदान को हटाना भी पर्यावरणीय नुकसान से बचने का एक उपाय है।

(ii) अनैतिक व्यवहार के निम्नलिखित कारण हैं :

1. **लघुकालीन परिणामों पर अधिक जोर** : यह बहुत सी कम्पनियों जैसे–एनरॉन तथा वर्ल्डकाम के पतन का मुख्य कारण बना है।

2. **छोटे–छोटे अनैतिक व्यवहारों की अवहेलना करना :** यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि अधिकांश समझौते करते समय तो छोटे होते हैं, किन्तु वे हमें एक बड़ी कठिनाई में फंसा देते हैं। समान रूप से एक कम्पनी के लिए एक ऐसा नैतिक वातावरण विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें छोटी सी भूल को भी गम्भीरता से लिया जाये जिससे भविष्य में वे गलतियाँ दुबारा न हों अन्यथा इस प्रकार की छोटी गलतियों की अनदेखी करना बढ़ी समस्या को बुलावा देने के समान हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

3. **आर्थिक चक्र** : जब एनरॉन कम्पनी ठीक ढंग से कार्य कर रही थी तब किसी ने भी इसकी सही वित्तीय स्थिति जानने की कोशिश नहीं की। इसमें दिये गये विवरणों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया गया। लेकिन जब अर्थव्यवस्था नीचे आई तो वित्त तथा लेखा प्रबन्धकों ने ऐसे निर्णय लिये जो स्थापित आचार संहिता की दृष्टि से समझौते मात्र थे। ऐसा कम्पनी की वित्तीय स्थिति को अच्छा दर्शाने के लिए किया गया जिससे निवेशकों को सन्तुष्ट किया जा सके। अच्छे समय में कम्पनियाँ लेखांकन क्रियाओं अथवा प्रकटीकरण को कम महत्व देती हैं क्योंकि उस समय सभी कुछ ठीक है का मिथ्या आभास रहता है। लेकिन कठिनाई के समय चोट बहुत गहरी होती है–लगभग जानलेवा–जैसा कि एनरॉन कम्पनी की दशा में सिद्ध हुआ। अतः कम्पनियों को आर्थिक चक्र के बारे में सोचना चाहिए तथा अच्छे व बुरे समय में सावधान रहना चाहिए।

4. **लेखांकन नियम** : वैश्वीकरण तथा अधिक मात्रा में बाहरी देशों से पूंजी मिलने के कारण लेखांकन के नियम पहले से अधिक बदल रहे हैं। अब नियम अधिक पेचीदा बन गये हैं तथा आवश्यकताओं के इन जटिल समूहों में से परिवर्तन को पहचानना अत्यधिक कठिन हो गया है। इन सिद्धान्तों और नियमों की जटिलता और इनके दुरुपयोग को पहचानने से जुड़ी समस्यायें ही अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने का कारण बनती हैं।

20. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 का उद्देश्य है कि राष्ट्र द्वारा किये जा रहे आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि एक आयोग को स्थापित किया जाये जिसका उद्देश्य ऐसे प्रयासों पर प्रतिबन्ध लगाने का हो जो प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव डालते हों तथा बाजार में प्रतिस्पर्धा का बनाये रखना तथा उसको प्रोत्साहित करना होगा तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करनी होगी तथा अन्य संस्थानों को बाजार में कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करनी होगी या ऐसे विषयों की या प्रतिस्पर्धा सम्बन्धित सभी विषयों की देख–रेख करनी होगी।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम निम्न विषयों से सम्बंधित है–

- **कुछ अनुबन्धों को प्रतिबंधित करना** : ऐसे सारे अनुबन्ध जो कि प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध समझे जाते हैं को प्रतिबन्धित करना। ऐसे अनुबन्ध जैसे कि गठजोड़ करके शर्त लगाने वाले, केवल नामित वस्तुओं की आपूर्ति या वितरण करना किसी उत्पाद के लिए काम न करना और पूर्व विक्रय मूल्य को बनाये रखना इन सब विषयों या अवस्थाओं को प्रतिस्पर्धा के विपरीत माना जायेगा यदि ऐसे विषय भारत में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करते हैं या कर सकते हैं उन्हें अप्रतिस्पर्धात्मक कहा जायेगा।
- **प्रभावी पद की भूमिका का दुरुपयोग** : यदि कोई अपने प्रभावी पद की भूमिका का दुरुपयोग करके भेदभावपूर्ण या अनुचित शर्तें लगाता है और वस्तुओं के उत्पादन को प्रतिबन्धित करता है या अपनी सेवाओं को प्रतिबन्धित करता है या कोई ऐसा व्यवहार अपनाता है जिससे कोई बाजार में प्रवेश नहीं कर सकता है या अन्य किसी रूप में बाजार प्रवेश पर रोक लगाता है, ये सारे तरीके प्रतिबन्धित हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

- **गठजोड़ का नियमन** : ऐसे सारे गठजोड़ जिनसे भारत के बाजारों में प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव पड़ता है या पड़ सकता है।

उपरोक्त के आधार पर यदि Kalam Ltd. अपने उत्तर भारतीय प्रतिस्पर्द्धकों के साथ मूल्य को एक निश्चित स्तर पर बनाये रखने का अनुबन्ध करती है तो ऐसा अनुबन्ध प्रतिबन्धित है। ऐसा अनुबन्ध प्रभावी पद का भी दुरुपयोग माना जायेगा। इसके विपरीत, वितरकों के साथ ऐसा कोई अनुबन्ध जिसके द्वारा उन्हें अपने प्रतिस्पर्धी के उत्पादनों को बेचने पर रोक लगाई जाए, अवैधानिक है क्योंकि इस प्रकार उनके बाजार में प्रवेश करने पर रोक लग जाएगी और ऐसा करना प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध माना जाएगा।

21. **संचार के महत्व के बढ़ने के कारण** : यह सत्य है कि व्यापारिक संगठनों में संचार का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ोत्तरी के लिए निम्न कारण हो सकते हैं :

(a) **संगठन का विस्तार और उसका कई स्थानों पर कार्यरत होना** : अधिकतर संगठन बड़े और अधिक बड़े आकार के होते जा रहे हैं। इन संगठनों मे व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पर तथा विभिन्न राज्यों या विभिन्न देशों में कार्यरत हो सकते हैं। सम्पर्क बनाये रखने के लिए, उनको निर्देश देने के लिए तथा उनसे सूचना तथा जानकारी प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि संचार तंत्र को खुला तथा सुचारु रूप से कार्यशील रखा जाये।

(b) **श्रम संगठनों का उत्थान** : पिछले कुछ दशकों में श्रम संगठनों का विस्तार और विकास तेजी से हुआ है और उनका प्रभाव क्षेत्र भी और व्यापक हो गया है और वह संगठन और अधिक सुदृढ़ हो गये हैं। कोई भी प्रबन्धन श्रम संगठनों को साथ लिये बिना सफल नहीं हो सकता है। केवल प्रभावी संचार के माध्यम से ही श्रमिकों के साथ लाभकारी और उपयोगी सम्बन्ध बनाया जा सकता है।

(c) **मानवीय सम्बन्धों का महत्वपूर्ण उत्थान** : संगठनों में कार्यरत व्यक्ति किसी मशीन के समान नहीं है। उनकी अपनी आशाएँ और अपेक्षाएँ और आवश्यकताएँ होती हैं। प्रबन्धन को उनकी अपेक्षाओं को समझना चाहिए और यह मानना चाहिए कि वह संवेदनशील मानव हैं और उन्हें संगठन के साथ एकीकृत करने का प्रयास करना चाहिए और उनके प्रति एकता की भावना के साथ काम करना चाहिए जो कि प्रभावी संचार स्थापित करके प्राप्त किया जा सकता है।

(d) **जन सम्पर्क** : प्रत्येक संगठन का ग्राहकों, सरकार, आपूर्तिकर्ताओं और आम जनता के प्रति सामाजिक दायित्व होता है। संचार ही एक ऐसा उपलब्ध साधन है जिसके माध्यम से संगठन अपने बारे में सकारात्मक चित्रण कर सकती है।

(e) **व्यावहारिक विज्ञान में उन्नति** : आधुनिक प्रबन्धन व्यावहारिक विज्ञान में हुई चेतनशील खोजों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है, विशेषकर मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संचेतनात्मक विश्लेषण आदि। यह सारे विज्ञान मानव प्रकृति के सुप्त प्रभाव को समझने तथा जीवन के प्रति सकारात्मक सोच को विकसित करने एवं उनके साथ उपयोगी सम्बन्ध बनाने में सहायक होते हैं और यह केवल मुक्त संचार से ही सम्भव हो सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(f) **तकनीकी विकास/प्रगति** : वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण दुनिया में बड़ी तेजी से बदलाव हो रहा है। यह प्रगति न केवल काम करने के तरीकों को प्रभावित करती है बल्कि कार्य समूह के गठन को भी प्रभावित करती है। ऐसी परिस्थितियों में पर्यवेक्षकों और कर्मियों के मध्य संचार का होना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है।

22. **अन्तर्वैयक्तिक संचार के आवश्यक कार्य** : अन्तर्वैयक्तिक संचार के आवश्यक कार्य निम्न होते हैं–

सूचना प्राप्त करना : अन्तर्वैयक्तिक संचार का मुख्य कार्य अन्य किसी व्यक्ति के बारे में ज्ञान और सूचना अर्जित करना होता है। हम ऐसी सूचनाएँ इसलिए एकत्र करते हैं ताकि हम उस व्यक्ति से अधिक प्रभावी ढंग से संचार कर सकें तथा उन व्यक्तियों को ठीक प्रकार से जान व समझ सकें।

एक–दूसरे को जानना और समझना : अन्तर्वैयक्तिक संचार हमें अन्य व्यक्ति द्वारा दिये गये संदेश को उसी सन्दर्भ में समझने में सहायता करता है जिस संदर्भ में वह संदेश भेजा गया है। शब्दों का अर्थ बहुत भिन्न–भिन्न हो सकता है और इस बात पर निर्भर करता है कि उक्त शब्द कैसे और कब कहा गया है और किस संदर्भ में कहा गया है। **विषयपरक संदेश**, किसी संदेश के सतही स्तर से संबंधित हैं। **संबंधात्मक संदेश–** संदेश को किस रूप में या किस प्रकार से कहा गया है, के संदर्भ में होते हैं। दोनों प्रकार के संदेश को एक साथ ही भेजा जाता है पर यह दोनों संचार को दिये गये अर्थ को प्रभावित करते हैं और हमें एक–दूसरे को बेहतर समझने में सहायता करते हैं।

पहचान की स्थापना करना : हम इसलिए भी अन्तर्वैयक्तिक संचार करते हैं ताकि हम अपनी पहचान स्थापित कर सकें जो कि हमारे सम्बन्धों पर आधारित होती है और हम दूसरों के समक्ष अपने छवि को कैसे प्रस्तुत करते हैं।

अन्तर्वैयक्तिक आवश्यकताएँ : हम अन्तर्वैयक्तिक संचार इसलिए भी करते हैं कि हम एक–दूसरे को अपनी अन्तर्वैयक्तिक आवश्यकताएँ बता सकें। विलियम शुट्ज़ ने ऐसी तीन आवश्यकताओं को चिन्हित किया है और वे निम्न हैं :

- समाहित होना एक ऐसी आवश्यकता है जिसके द्वारा हम अपनी पहचान को अन्य की पहचान के साथ सम्मिलित करना चाहते हैं।
- नियंत्रण की आवश्यकता द्वारा हमें अपनी नेतृत्व शक्ति का प्रयोग करना होता है और अपनी योग्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है।
- स्नेह एक ऐसी आवश्यकता है जिसके द्वारा हम दूसरों के साथ सम्बन्ध विकसित करना चाहते हैं। समूह मित्र बनाने और सम्बन्ध स्थापित करने का यही सबसे उत्तम मार्ग है।

23. **सर्वसम्मति का निर्माण** : सर्वसम्मति का निर्माण से आशय भारी समर्थन से है। प्रायः सर्वसम्मति निर्माण के प्रयास एकमत्ता प्राप्त करने के लिए किये जाते हैं। मुख्य बात यह है कि सर्वसम्मति है या नहीं यह जानने के लिए मुख्य सूचक यह है कि सभी अंतिम प्रयास से सहमत हैं और समस्त हितधारकों के हितों को प्राप्त करने के उद्देश्यों की पूर्ति करने

© The Institute of Chartered Accountants of India

के सर्वसम्मत प्रयास किए गए हैं। इस प्रकार सर्वसम्मति के लिए आवश्यक है कि कुछ लोग प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं को सावधानी से सुनने के बाद प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करे। एकमता के निर्माण की प्रक्रिया में सभी दलों के साथ–साथ आने से पहले मध्यस्थ उचित प्रतिभागी को पहचानने में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और मूलभूत नियमों को स्पष्ट करा सकते हैं, जिनके द्वारा वे संचालन करेंगे और गैर–प्रतिभागी दलों को भाग लेने के लिए सहमत कर सकते हैं। एक बार प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो मध्यस्थों द्वारा पक्षकारों का साथ देने की कोशिश की जाती है जिससे मतभेदों को दूर किया जा सके।

- **समस्या समाधान के दिशा–निर्देश :** रचनात्मक होना और समस्या समाधान करने की स्थिति को बनाये रखना आवश्यक है। यहाँ तक कि गहरे मतभेदों और व्यक्तिगत विरोधों के बावजूद यह प्रत्येक पक्ष के हित में होगा कि वह दूसरों के साथ इस प्रकार व्यवहार करे जैसा वह दूसरों से अपने लिए चाहता है। चिन्ता अथवा असहमति को बिना किसी शर्त के रचनात्मक रूप में व्यक्त की जानी चाहिए।
- **सुनने की सत्त प्रक्रिया में लगा रहना** : प्रत्येक अनुकूलता की निर्माण प्रक्रिया में प्रतिभागियों को सुनवाई की सत्त प्रक्रिया अपनानी चाहिए एवं प्रोत्साहित करना चाहिए (वास्तव में यदि आवश्यक हो, तो निर्देश देना चाहिए)। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे सुनिश्चित किया जा सकता है कि सुनने वाला व्यक्ति आपकी बात ध्यान से सुन रहा है जैसा आप चाहते हैं।
- **असहमत हों लेकिन अहसमति न दर्शाएं :** सर्वसम्मति के निर्माण की प्रक्रिया में प्रतिभागियों को यह निर्देश देना चाहिए कि 'असहमत होते हुए भी अहसहमति न दर्शाएं।' यह कहावत समूह के लिखे हुए मूलभूत नियमों में सम्भवतः शामिल होनी चाहिए।
- **पारदर्शिता को अधिकाधिक सम्भव बनाने की कोशिश करनी चाहिए :** सर्वसम्मति के निर्माण की प्रक्रिया अधिक से अधिक मात्रा में पारदर्शी होनी चाहिए। यानि समूह का आदेश, उसकी कार्यसूची और मूलभूत नियम, प्रतिभागियों और समूहों की सूची या उनके द्वारा प्रस्तुत विषय प्रस्ताव जिन पर वे विचार कर रहे हैं, निर्णायक नियम जो उन्होंने स्वीकार किये हैं, उनकी अर्थव्यवस्था और उचित समय पर समूह की सिफारिशों पर आधारित उनकी अन्तिम रिपोर्ट किसी भी प्रतिभागी द्वारा उचित समय पर जांच के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।
- **पारस्परिक लाभ के लिए विकलप खोजने का प्रयास करना :** अनुकूलता निर्माण के लक्ष्य अधिकतम सम्भव उपयोगिता के लिए निर्मित होने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो कुछ भी मूल्य निर्धारित किये जाते हैं, वे इस प्रकार से बँटे हों कि उनसे सभी प्रासंगिक उद्देश्यों की पूर्ति हो। मूल्य निर्धारण का मुख्य उद्देश्य पारस्परिक लाभ के लिए विकल्प ढूँढ़ना है।

24. मैं Mr. अतुल पुत्र श्री ..... निवासी ..... एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं Xtra Limited को होने वाली क्षति जो कि उसको 150 अंशों

© The Institute of Chartered Accountants of India

के अंश लाभ ₹ 1,500 जारी करने के कारण होगी, की क्षतिपूर्ति के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

मैं आगे घोषणा करता हूँ कि मुझे यह अंश लाभ वारण्ट व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं।

दिनांक : हस्ताक्षर

स्थान :

25. व्यावसायिक/व्यापारिक पत्र : माल की प्राप्ति स्वीकार–पत्र

कुणाल केमिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 15, ओकला इस्टेट, नई दिल्ली 110016

फोन : 6132757, फैक्स : 6132767

ई–मेल : kunalchem@rediffmail.com, वेबसाइट : www.kunalchem.org

मैसर्स : शिपर्स एण्ड परफैक्ट डेलिवर्स दिनांक :

16, नरिमन पोंइट

मुम्बई

महोदय,

विषय : प्रेषण नम्बर ..... की पावती सूचना–

संदर्भ : हमारी प्रार्थना 24/D/55 – दिनांक 1 अगस्त, 2015

हम धन्यवाद के साथ बताना चाहते हैं कि उपरोक्त प्रेषण हमारे गोडाउन पर प्राप्त हो गया है और हम अगले 15 दिनों के भीतर कम्पनी के पक्ष में उपरोक्त प्रेषण के भुगतान के लिए क्रॉस चैक की व्यवस्था कर रहे हैं।

भविष्य में व्यापार के लिए हम आपसे सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों की इच्छा रखते हैं।

धन्यवाद

आपका विनीत,

कुणाल केमिकल्स लिमिटेड के लिए

© The Institute of Chartered Accountants of India